16.1.25 उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील शामिल दफ्तर हो।

आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

GCMS 2021/185

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.21 16:07:20 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ

हेतराम बनाम जगतपाल आदि

किस्म मुकदमा:–251(क) आरटीए

प्रकरण संख्या:–120/2021

GCMS-2021/185

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.2025	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री राकेश सारस्वत ने प्रा.पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के नाम चक 1 जीएसएम प0न0 172/438 (46) कि0न0 5 ता 7, 13 ता 15, 17,18 = 2.024 है0 खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज हैं। उक्त प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता स्वीकृत नही हैं। प्रार्थी अपने खेत में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि चक 1 जीएसएम प0न0 172/438 कि0न0 16 व 25, प0न0 172/439 कि0न0 5,6,15,16,25 में चल रहें अस्थाई रास्ता से आवागमन करता हैं जो कि स्वीकृत शुदा रास्ता प0न0 172/439 कि0न0 21 ता 25 से जुड़ता हैं। प्रार्थी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से चल रहें अस्थाई रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहता हैं। रास्ता के एवज में प्रार्थी, अप्रार्थीगण को डीएलसी दर पर राशि देने को तैयार हैं। वकील अप्रार्थी नं0 5 द्वारा आपत्ति पेश की गई कि अप्रार्थीगण की भूमि में कोई रास्ता नही चल रहा हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें। शेष अप्रार्थीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी हैं। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 5 की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा नक्शा मौका का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबन्दी व नक्शा मौका अनुसार बरंग हरा प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसमें आने जाने हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि अर्जनराम वगैरा बरंग काला के कि.नं. 16 व 25 तथा खातेदारी भूमि दिनेश कुमार बरंग सन्तरी के कि.नं. 5 व 6 तथा खातेदारी भूमि जसवन्त सिंह बरंग गुलाबी के कि.नं. 15 व 16 तथा खातेदारी भूमि जगतपाल बरंग लाल के कि.नं. 25 में पासा पूर्व उतर दक्षिण लम्बा 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने की मांग की हैं। नक्शा मौका अनुसार यही रास्ता स्वीकार करने से प्रार्थी अपने खातेदारी रकबा में आवागमन कर सकता है। अतः चक 1 जीएसएम प0न0 172/438 कि0न0 16 व 25, प0न0 172/439 कि0न0 5,6,15,16,25 प्रत्येक में पासा पूर्व उतर दक्षिण लम्बा 1–1 बिस्वा चौड़ा रास्ता वर्तमान डीएलसी की दुगुनी कीमत पर स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी हेतराम पुत्र श्री नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी 10 सरकारी हाल 12 किशनावाली ढाणी तहसील सूरतगढ का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण अर्जनराम वगैरा के धारित चक 1 जीएसएम प0न0 172/438 कि0न0 16 व 25, अप्रार्थी दिनेश कुमार पुत्र जसवन्तसिंह की धारित भूमि चक 1 जीएसएम प0न0 172/439 कि0न0 5,6 एवं अप्रार्थी जसवन्तसिंह पुत्र रामप्रताप की धारित भूमि चक 1 जीएसएम प0न0 172/439 कि0न0 15,16 तथा अप्रार्थी जगतपाल पुत्र जसवन्त की धारित भूमि चक 1 जीएसएम प0न0 172/439 कि0न0 25 प्रत्येक में पासा पूर्व उतर दक्षिण लम्बा 1–1 बिस्वा चौड़ा रास्ता कुल 0.089 हैक्टर नहरी वर्तमान डीएलसी की दुगुनी कीमत पर स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी उक्त स्वीकृत किये गये रास्ता की खातेदारी भूमि 0.089 हैक्टर नहरी भूमि की वर्तमान डीएलसी की दुगुनी दर से कीमत तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष जमा करायेगा। नियमानुसार राशि जमा होने के बाद स्वीकृत किये गये रास्ता का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे। तहसीलदार–सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2025.01.21 16:07:20 IST Reason: SelfAttested (संदीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ